रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/95

REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1995 (अग्रहायण 4, 1917)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1995 (AGRAHAYANA 4, 1917)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विभिन्न नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 913

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 1077

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . . 17

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 1561

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . *

भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1101

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . . 913

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं --

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं। 2481

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 165

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	931
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1077
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	17
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1561
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	1101
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	913
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2481
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	165
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 अक्तूबर 1995

संकल्प

सं. फा. 4 (3)/93-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 25-8-94 के आंशिक संशोधन में संसदीय कार्य मंत्रालय का पदभार छोड़ने के फलस्वरूप निम्नलिखित राज्य मंत्री इस मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं रहे :—

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में पदभार सम्भालने के फलस्वरूप निम्नलिखित नामों को जोड़ा जाता है :—

1. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
(ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग)
तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

2. शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
(शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग)
तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

देवराज तिवारी
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1995

विषय : केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (के.भा.भा.सं.) में सलाहकार समिति का गठन ।

सं. एफ. 8-6/88-डी.-4 (भा.)—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को उसके कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या एफ. 8-6/88-डी-4 (भा.) का आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा डा. कृपासिन्धु भाई राज्य मंत्री (के) को संस्थान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को अधिसूचित करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति, निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली लोक सभा सचिवालय, योजना-आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । मुद्रित प्रति इस मंत्रालय को भेजी जाए ।

एस. सी. आनन्द
उप-सचिव (भाषाएं)

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1995

संकल्प

मि. सं. 2-1/92-डी(पी.ई.)—यतः युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने दिनांक 28-4-1987 के संकल्प/अधिसूचना सं.

23-1/86-डी. III (खेल के अंतर्गत दिनांक 1-5-1987 में प्रभावी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और संस्थान की सोसायटी का भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ समामेलन कर दिया है, और इसके द्वारा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर और तिरुवनंतपुरम के प्रशासनिक और अन्य नियंत्रण भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली को कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे ।

और यत: निम्नलिखित प्रयोजन से :—

(1) शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और अन्य अंतर संबद्ध विषयों के क्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त मार्गदर्शक तैयार करना,

(2) शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन केन्द्र के रूप में कार्य करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करना, उसका संवर्धन एवं प्रसार करना और साहित्य का भी प्रकाशन करना ।

(3) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों को व्यावसायिक और शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना ।

(4) इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार सेवा प्रदान करना ।

(5) शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देना ।

(6) शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद के कार्यक्रमों का विकास और संवर्धन करना ।

(7) शिक्षा के उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और निदेश की व्यवस्था करना, जैसा उचित समझा जाए ।

और यत: भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय ने 19 जुलाई, 1995 को हुई अपनी बैठक में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर को अलग करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

और यत: लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर को 2 सितम्बर, 1995 से, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के नाम से एक पृथक् सोसायटी के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज के साथ पंजीकृत कर दिया गया है ।

और यत: लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर का रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज के साथ पंजीकृत होने के परिणामस्वरूप यह एक स्वतंत्र सोसायटी बन गई है । इसलिए यह संस्थान, दिनांक 2 सितम्बर, 1995 से भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक तथा अन्य नियंत्रणों से अलग हो गया है ।

और यत: श्री माधवराव सिंधिया, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने नई सोसायटी का प्रथम अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है ।

अत:, एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :—

1. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा कालेज, ग्वालियर की सोसायटी दिनांक 2 सितम्बर, 1995 से भारतीय खेल प्राधिकरण से अलग मानी जाएगी ।

2. अत:, नई सोसायटी को परिसम्पत्तियों तथा उत्तरदायित्वों की संस्थान के नए प्रबंधन द्वारा देखरेख की जाएगी ।

3. भारत सरकार, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की संस्थान के नियमों के अनुसार नियुक्ति करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा सभी संबंधित को सूचना भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी जाए ।

आशा स्वरूप
संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक और दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर 1995

संकल्प

विषय :-संचार मंत्रालय के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण पैनल का गठन ।

सं. 2/3/92-टी सी ओ—मुझे, संचार मंत्रालय के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा पैनल के गठन के बारे में 27 मार्च, 1992 को जारी भारत सरकार के संकल्प सं. 2-3/92-टी सी ओ का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक लेखा परीक्षण पैनल का, जिसका कार्यकाल 29-4-1992, 21-1-94 और 24-8-94 के समसंख्यक संकल्पों के तहत आगे बढ़ाया गया था तथा 31-3-95 को समाप्त हो गया था, 3-11-95 से पुनर्गठन किया गया है । पैनल के सदस्यों के नाम अनुबंध-1 में दिए गए हैं । पुनर्गठित पैनल का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक के लिए होगा ।

दिनांक 27-3-92 को प्रकाशित संकल्प में निहित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति पैनल के सभी सदस्यों को दे दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सोम चतुर्वेदी
संयुक्त सचिव

अनुबन्ध-1

पुनर्गठित सामाजिक लेखा परीक्षण पैनल के सदस्यों की सूची

1. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती—अध्यक्ष
2. श्री के. सत्यनारायण राजू—संयोजक
3. श्री बी. जी. देशमुख—सदस्य
4. श्री डी. डी. ठाकुर—सदस्य
5. श्री खुशवंत सिंह—सदस्य
6. श्री के. एन. प्रसाद—सदस्य

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक अगस्त 1995

संकल्प

सं. ई-11015/4/94-हिन्दी 2—भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मन्त्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार" नामक एक योजना प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

योजना का नाम :

1. योजना का नाम "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार" होगा।

पुरस्कार दाता

2. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

पुरस्कार का स्वरूप

3. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर श्रेष्ठ पुस्तकें मौलिक रूप से हिन्दी में लिखने पर दो वर्षों में एक बार प्रथम पुरस्कार 15,000/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार 10,000/- रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 7,000/- रुपए के दिए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित विषय :

4. (क) समन्वित ग्रामीण विकास

(ख) स्वयं सेवी संगठन।

(ग) कृषि विपणन।

(घ) भूमि सुधार।

(ङ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम।

(च) ट्राइसेम (ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना)।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास।

(ज) ग्रामीण जल आपूर्ति/ग्रामीण स्वच्छता।

(झ) स्वयं सेवी संगठन।

(ञ) लाख कुओं की योजना।

(ट) इंदिरा आवास योजना तथा ग्रामीण आवास योजना।

(ठ) सुनिश्चित रोजगार योजना।

(ड) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति।

(ढ) पंचायती राज।

(ण) बंजरभूमि का विकास।

उद्देश्य :

5. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार से संबंधित उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में श्रेष्ठ मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारत के लेखकों का बढ़ावा देना है।

मूल रूप से हिन्दी में लिखी श्रेष्ठ पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा, चाहे वे प्रकाशित हों अथवा पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध हों।

पुरस्कार संचालन

6. केवल ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को ही पुरस्कार पाने वाले लेखकों का नाम चुनने का अधिकार है और वही इससे संबंधित नियम बनाएगा।

पुरस्कार पाने के लिए पात्रता

7. ये पुरस्कार भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जिनमें एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को वे सम्पादक भी शामिल हैं, जिन्होंने स्वयं भी उन पुस्तकों में पर्याप्त अंशदान किया हो और साथ ही सम्पादकीय प्राक्कथन भी दिया हो। इन पुरस्कारों के लिए प्रकाशित पुस्तकें तथा ये पांडुलिपियां भेजी जा सकती हैं, जिन्हें लेखक प्रकाशित करवाने का इरादा रखता हो, बशर्ते कि ये पुस्तकें/पांडुलिपियां मौलिक रूप में हिन्दी में लिखी गई हों और उनसे किसी भी व्यक्ति के स्वत्वाधिकार (कापीराइट) का उल्लंघन न होता हो।

8. लेखकों का मूल्यांकन उनके द्वारा भेजी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों से प्रकट होने वाले मौलिक योगदान के आधार पर किया जाएगा।

9. ऐसी पुस्तकों को मंगवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना जारी की जाएगी। मंत्रालय अपनी ओर से भी किसी पुस्तक को पुरस्कार के लिए शामिल कर सकता है।

10 लेखकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ अपनी पुस्तक या पांडुलिपि की 5 प्रतियां निम्नांकित में लिखित अंतिम तारीख तक "सचिव, ग्रामीण विकास, कृषि भवन, नई दिल्ली" को भेजनी होंगी। इस प्रकार भेजी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों की प्रतियां लेखकों को लौटाई नहीं जाएंगी।

11. यदि किसी प्रविष्टि को पहले किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार मिल चुका है, तो आवेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

12. कोई भी लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टि भेज सकता है, लेकिन संबधाधीन दो वर्षों की अवधि में एक लेखक को एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

13. यदि पुरस्कृत पुस्तक या पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि सह-लेखकों में बराबर बांट दी जाएगी ।

14. यदि संदर्भाधीन दो वर्षों की अवधि में किसी भी पुस्तक या पांडुलिपि को पुरस्कार के योग्य नहीं समझा गया, तो उस अवधि के लिए विभाग द्वारा पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाएगी ।

15. पुरस्कारों के वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय स्वयं उपयुक्त तारीख तथा समय का निर्धारण करेगा और पुरस्कार प्रदान करने से पर्याप्त समय पहले पुरस्कार पाने वाले लेखकों को इसकी सूचना देगा ।

16. ये पुरस्कार मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर आयोजित समारोह अथवा अन्य किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे ।

मूल्यांकन समिति

17. पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुस्तकों का चयन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी ।

सामान्य

18. पुरस्कार के लिए विचारार्थ प्रकाशित पुस्तकों के लेखकों का कापीराइट समाप्त नहीं होगा ।

19. अनूदित पुस्तक पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

20. यदि कोई अप्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो पुरस्कार की राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी संस्थान या संगठन से सहायता लिए बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराए जाने के बाद ही किया जाएगा ।

21. ये पुस्तकें/पांडुलिपियां ग्रामीण विकास और गांवों के अर्थशास्त्रीय पहलुओं पर कम से कम स्नातक स्तर की होनी चाहिए । पुस्तक का कलेवर (20" × 30 × 16 या 23" × 36/16 आकार को) कम से कम 100 या इससे अधिक मुद्रित पृष्ठों का होना चाहिए । ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियां, नाटक, गीत, कविताओं के संकलन आदि इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के पात्र नहीं हैं ।

22. प्रविष्टियां निर्धारित आवेदन पत्रों के साथ भेजी जानी हैं । आवेदन पत्र "सचिव, ग्रामीण विकास, कृषि भवन, नई दिल्ली" से प्राप्त किया जा सकता है ।

23. पुरस्कार संबंधी सभी मामलों में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

24. प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख . . . . है

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी. ज्योति राव
संयुक्त सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 14 नवम्बर 1995

संकल्प

विषय : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए एक सोशल ऑडिट पैनल का गठन

सं. 23011/74/95-जी सी—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार में पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित सभी क्रियाविधियों की आयोजना, संवर्धन और समन्वय के लिए प्रभारी नोडल एजेन्सी है । मंत्रालय के कार्य में विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी देने से लेकर पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने तक, जनता के अनुकूल गतिविधियों का एक व्यापक क्षेत्र शामिल है जिसमें वन सम्पदा और वन्य जीवों की सुरक्षा तथा विकास, पारिविकास, औद्योगिक दुर्घटनाओं का उपशमन, प्रदूषण नियंत्रण, जल संसाधनों का पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और क्षमता निर्माण शामिल है ।

2. यद्यपि उपर वर्णित गतिविधियों को उनकी पारिस्थितिकीय प्रासंगिकता के कारण आरम्भ किया गया है, किन्तु इनका कार्यान्वयन और सफलता जनता, विशेषकर स्थानीय समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों तथा प्रचार माध्यमों की भागीदारी पर निर्भर है । इस प्रकार सामान्य जनजागरूकता का आंकलन करने और मंत्रालय के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करने तथा जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई ताकि उनको जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जा सके तथा जनता का समर्थन और सहयोग जुटाया जा सके ।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मंत्रालय की गतिविधियों की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक सोशल ऑडिट पैनल गठित किया है।

4. इस पैनल का संगठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

श्री न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक,
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश,
नई दिल्ली।

सदस्य

डा. एम. एस. स्वामिनाथन,
अध्यक्ष,
एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउन्डेशन,
मद्रास।

श्री आबिद हुसैन,
उपाध्यक्ष,
राजीव गांधी फाउन्डेशन,
नई दिल्ली।

सदस्य

श्री आर. राजामणि,
भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार,
पर्यावरण मंत्रालय,
हैदराबाद।

सदस्य सचिव

डा. एन. भास्कर राव,
नई दिल्ली।

5. यह पैनल परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगा।

6. पैनल की अवधि दो वर्ष की होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रीमण्डल सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सर्वेश्वर झा
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 24th October 1995

RESOLUTION

No. F. 4(3)/93-Hindi.—In partial modification of Ministry of Parliamentary Affairs Resolution of even number dated 25-8 94 the following State Minister ceases to be the Member of Hindi Salahkar Samiti consequent upon relinquishing the charge of Ministry of Parliamentary Affairs :

Minister of State in the M/o Chemicals & Fertilizer M/o Parliamentary Affairs and D/o Electronics and Ocean Development.

and following names are added Consequent upon taking the charge in Ministry of Parliamentary Affairs as State Minister :—

(i) Minister of State in the Ministry of Rural Areas and Employment (Deptt. of Rural Employment Poverty Alleviation) and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

(ii) Minister of State in the Ministry of Urban Affairs and Employment (Deptt. of Urban Employment and Poverty Alleviation) and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations. All Ministries and Departments of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEO RAJ TIWARI
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 2nd November 1995

Subject :—Advisory Committee in the Central Institute of Indian Languages, Mysore (CIIL) Setting up of—

No. F. 8-6/88-D.IV(L).—In partial modification of the Department of Education Notification of even No. dated 4th August, 1993, published in the Gazette of India, regarding the setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages Mysore in formulating its programme and projects, the Government of India hereby notify the appointment of Dr. Krupasindhu Bhoi, MOS (K) as the Chairman of the Advisory Committee of the Institute. Other terms and conditions will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Notification be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore. All State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, New Delhi.

Ministry of Parliamentary Affairs Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission. President's Secretariat and All Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information. Printed copy may be sent to the Ministry.

S. C. ANAND
Under Secy. (Languages)

(DEPTT. OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS)

New Delhi, the 13th October 1995

RESOLUTION

F. No. 2-1/92-D (PF).—WHEREAS the Department of Youth Affairs and Sports amalgamated the society for National Institute of Physical Education and Sports with the Sports Authority of India with effect from 1-5-1987 vide

the Resolution Notification No. 23-1/86-D III (SP) dated 28-4-1987, bringing thereby the administrative and other controls of Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala and the Laxmibai National Colleges of Physical Education, Gwalior and Thiruvananthapuram under the purview of the Sports Authority of India New Delhi.

AND WHEREAS with a view :—

(i) To prepare highly qualified leaders in the field of Physical Education, Sports/Games and other Inter-Disciplinary subjects.

(ii) To serve as a centre of excellence and innovations in Physical Education and to undertake, promote and disseminate research and also publish literature in this field.

(iii) To provide professional and academic leadership to other institutions in the field of physical education.

(iv) To provide vocational guidance and placement service to the people in this field.

(v) To promote mass participation in physical education activities.

(vi) To develop and promote programmes of Physical Education and spotrs/games in Educational Institutions and other organisations.

(vii) To provide for instructions and training in such branches of learning as it may deem fit.

AND WHEREAS the Governing Body of Sports Authority of India approved the delinking of the Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior in its meeting held on 19th July, 1995.

AND WHEREAS the Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior has been registered with the Registrar of Societies under societies Registration Act, 1973 as a separate Society with effect from 2nd September, 1995 as Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior.

AND WHEREAS with the registration of Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior with the Registrar of Societies, it has become an independent Society The Institute, therefore, stands delinked from the Sports Authority of India from its Administration and other controls with effect from 2nd September, 1995.

AND WHEREAS SHRI MADHAVRAO SCINDIA, Union Minister for Human Resource Development, has accepted to be the first President of the new Society.

It is, therefore, hereby resolved as follows :—

(1) The Society for the Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior shall stand delinked from the Sports Authority of India with effect from 2nd September, 1995.

(2) The assets and liabilities of the new Society shall henceforth be managed by the new management of the Institute.

(3) The Govt. of India shall appoint the Director and other officers of the Lakshmibai National Institute of Physical Education Gwalior in accordance with the Rules of the Institute.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

Ordered also that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

ASHA SWARUP
Joint Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOM & POSTS)

New Delhi-110001, the 8th November 1995

RESOLUTION

Subject :—Constitution of Social Audit Panel for the Ministry of Communications.

No. 2-3/92-TCO.—The undersigned is directed to invite a reference to Government of India Resolution No. 2-3/92-TCO issued on the 27th March, 1992 constituting a Social Audit Panel for the Ministry of Communications as further amplified under Resolutions of even number dt. 29-4-92, 21-1-94 and 24-8-94 and to say that the Social Audit Panel, the term of which had expired on 31-3-95 has been reconstituted with effect from 3-11-1995. The names of the Members of the panel is given in Annexure-I. The term of the reconstituted Panel would be for a period of two years from the date of its reconstitution.

The other conditions contained in the Resolution published on 27-3-1992 shall remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the office bearers of the Panel.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India.

S. D. CHATURVEDI
Joint Secy.

ANNEXURE-I

LIST OF THE MEMBERS OF RECONSTITUTED

SOCIAL AUDIT PANEL

1. Justice P. N. Bhagwati, Chairman.
2. Shri K. Satyanarayana Raju, Convenor.
3. Shri B. G. Deshmukh, Member.
4. Shri D. D. Thakur, Member.
5. Shri Kushwant Singh, Member.
6. Shri K. N. Prasad, Member.

MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT

New Delhi, the August 1995

RESOLUTION

No. E-11015/4/94-Hindi-II.—Govt. of India has decided to launch a scheme namely GRAMIN VIKAS SAHITYA PURASKAR to be awarded to the authors of original books in Hindi on subjects falling in the jurisdiction of the Ministry of Rural Areas & Employment. The salient features of the scheme are as follow :—

Name of the Scheme

1. The name of the scheme will be GRAMIN VIKAS SAHITYA PURASKAR.

Organiser

2. The Puraskar will be given by the Ministry of Rural Areas & Employment, Krishi Bhavan, New Delhi.

Nature of the Puraskar

3. One 1st Prize of Rs. 15,000/-, One 2nd Prize of Rs. 10,000/- and One 3rd Prize of Rs. 7,000/- will be given once in every two years for writing excellent books originally in Hindi on the following subjects related to the Ministry of Rural Areas & Employment :

Subjects related to the Ministry of Rural Areas & Employment :

1. Integrated Rural Development Programme.
2. Jawahar Rojgar Yojana.
3. Agricultural Marketing.
4. Land Reforms.
5. Draught Prone Area Programme & Desert Development programme.
6. Training of Rural Youth for self Employment.
7. Development of women and children in Rural Areas.
8. Rural Water Supply/Rural Sanitation.
9. Voluntary Organisations.
10. Million Wells Scheme.
11. Indira Awas Yojana & Rural Housing Scheme.
12. Employment Assurance Scheme.
13. Supply of Improved Tool-kits to Rural Artisans.
14. Panchayati Raj.
15. Wastelands Development.

Objective

5. The scheme aims at promoting Indian authors to write excellent books in Hindi on the above subjects related to the Ministry of Rural Areas & Employment.

Excellent books written only in Hindi whether available in published form or in manuscript, will be considered for the prizes.

Eligibility

6. Selection of books for prizes will be the right of the Ministry of Rural Areas & Employment, and Ministry's decisions in this regard will be final and binding.

Eligibility

7. The prizes are meant for Indian authors in Hindi including the editors who have edited the books written by more than one author, and who themselves have contributed considerably, besides giving editorial introductions therein. For these prizes published books and manuscripts which the author intends to get published, can be sent for consideration provided that they are written originally in Hindi and do not violate the copyright laws.

8. Evaluation of the authors will be done on the basis of merit of the original contribution reflected in the books/manuscript sent by them.

9. A notice inviting books for the prizes will be published by the Ministry of Rural Areas & Employment in all leading Hindi and English Newspapers. The Ministry can also include any book for prizes on its own behalf.

10. Authors will be required to send their books/manuscripts in five copies along with an application in the prescribed format so as to reach SECRETARY (RURAL DEVELOPMENT), Krishi Bhavan, New Delhi by the last date prescribed in the advertisement. Copies of books/manuscripts will not be returned to the authors.

11. If an entry has already got any prize/award under any scheme, it should be clearly mentioned in the application.

12. Authors can send in as many entries as they desire but in the two years' period under consideration one author will not be given more than one prize.

13. If the books/manuscripts selected for prizes happen to be written by more than one writer, than the amount of the prizes will be distributed equitably among the co-authors.

14. If in the two years' period under consideration no book/manuscript is considered to be worthgiving a prize, the Ministry will not announce the prizes for that period.

15. The Ministry of Rural Areas & Employment will fix a suitable date and time for the distribution of the prizes; and the prize winning authors will be informed of this well in advance.

16. The prizes will be given on the occasion of an especially organised function or on some other suitable occasion.

Evaluation Committee

17. There will be a committee to select books for prizes under this *Puraskar* scheme.

General

18. The copyright of the authors of published books under consideration for prizes will remain intact.

19. Translated books will not be considered for prizes.

20. If an unpublished book is selected for prize, the amount of prize will be given to the author only after he/she gets that book published without taking any assistance from Central Government/State Government or any Institution/Organisation assisted by Government.

21. These books/manuscripts on rural development and economic aspects of our villages should at least be of a graduate level. The book should have a minimum of 100 or more published pages in 20 x 30/16" or 23 x 36/16" size. Stories, dramas, songs and collection of poems related to rural life etc. are not eligible under this scheme.

22. Entries must be accompanied by an application in the prescribed format. Application forms can be obtained from *Secretary (Rural Development), Krishi Bhavan, New Delhi.*

23. The decisions of the Ministry of Rural Areas & Employment in respect of the issues related to the Puraskar scheme will be final and no correspondence in this regard will be entertained.

24. The last date for receipt of entries is ————.

ORDER

ORDERED hereby that the copy of the Resolution be sent to all the State Governments/Union Territories and all the Ministries/Departments of the Government of India.

P. JYOTI RAO
Jt. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 13th November 1995

RESOLUTION

Subject :—Constitution of a Social Audit Panel for the Ministry of *Environment and Forests*.

No. 23011/74/95-GC.—The Ministry of Environment and Forests is the nodal agency in the Government of India charged with the planning, promotion and coordination of all activities relating to environmental consevation. From according clearance to development projects from the environmental angle to creating awareness among the public on environmental matters, the work of the Ministry covers a wide spectrum of people oriented activities including protection and augmentation of forest wealth and wildlife, eco-development, mitigation of industrial disasters, pollution control, ensuring ecological health of water resources and capacity building.

2. While the above activities have been initiated because of their ecological relevance, their implementation and success depends on participation by the people particularly the local communities, non-governmental organisations and the media. A need has thus been felt to assess general public awareness and appreciation of the Ministry's programmes and projects and to take corrective action, wherever needed, to model them to suit peoples' requirements and to mobilise peoples' support and participation.

3. With the above objective, the Ministry of Environment and Forests has set up a Social Audit Panel to undertake reviews of the activities of the Ministry and make suitable recommendations.

4. The composition of the Panel will be as follows :

Chairman

Shri Justice R. S. Pathak,
Former Chief Justice of India,
New Delhi.

Members

Dr. M. S. Swaminathan,
Chairman,
M. S. Swaminathan Research Foundation,
Madras.

Shri Abid Hussain,
Vice-Chairman,
Rajiv Gandhi Foundation,
New Delhi.

Shri R. Rajamani,
Former Secretary to Govt. of India,
Ministry of Environment & Forests.
Hyderabad.

Member-Convenor

Dr. N. Bhaskar Rao,
New Delhi.

5. The Panel will function as an advisory body.

6. The term of the Panel will be two years.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all the State Governments, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat and all the Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SARWESHWAR JHA
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995.